न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2022 अपील

1. गिरवर पुत्र सार्दुल रेबारी निवासी– जागदरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. पम्पू पुत्री सार्दुल रेबारी निवासी जागदरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. जमनी पत्नी सार्दुल रेबारी निवासी जागदरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. शंकर पुत्र जगरूप रेबारी निवासी– जागदरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. खेमराज पुत्र जगरूप रेबारी निवासी जागदरी
3. कालू पुत्र बद्री रेबारी निवासी– जागदरी
4. शम्भू पुत्र बद्री रेबारी निवासी– जागदरी
5. सायरी पुत्री बद्री रेबारी निवासी–जागदरी
6. माधु पुत्र हुक्मा रेबारी निवासी– जागदरी
7. भंवर पुत्र नंगा रेबारी निवासी जागदरी
8. सांवत पुत्र नंगजी रेबारी निवासी– जागदरी
9. सुडी बेवा बद्री रेबारी निवासी–जागदरी
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा
11. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कारोई तहसील एवं जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक
12. आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा पुर, भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबंधक

– रेस्पोडेण्टगण

–अपीलार्थी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) भीलवाड़ा बमामले रजामदी बंटवाड़ा प्रकरण संख्या 272/2008 निर्णय 16/01/2008

उपस्थित –

1. श्री उदय सिंह चारण अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.06.2023

अपीलार्थी की ओर से यह अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार भीलवाडा के प्रकरण संख्या 272/2008 निर्णय दिनांक 16.01.2008 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जागदरी पटवार हल्का जागदरी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 257 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 258 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 259 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 263 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 264 रकबा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 265 रकबा 01 बीघा, आराजी नम्बर 266 रकबा 17 बिस्वा, आराजी नम्बर 267 रकबा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 825 रकबा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 826 रकबा 09 बिस्वा, आराजी नम्बर 832 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 833 रकबा 04 बिस्वा, आराजी नम्बर 834 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 835

अति. जिला कलक्टर

जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा आपसी सहमति बटवाड़ा निर्णय दिनांकित 16/01/2008 को निरस्त करा, अपील की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजियात का समान हक हिस्से अनुसार व कब्जे अनुसार विभाजन करा, राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षीगणों को तलबी नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से 09 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से विपक्षी संख्या 01 से 09 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिनांक 09.02.2023 किया गया। प्रकरण में अपीलार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

सर्वप्रथम अपील मेमों में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत आराजियात पर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण अपने हक हिस्से मे होकर इसी अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलार्थीगण को जानकारी मे आया कि सहमति से बंटवाड़ा हुआ। उस वक्त राजस्व कर्मचारीयों को हक हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु कहा, लेकिन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा मनमकसूद तरीके से भूमि को एक चक के रूप में नही रखकर आराजी नम्बर 256 एवं 257 का रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा व 18 बिस्वा ही है, लेकिन प्रत्येक आराजी मे से 03 बिस्वा, 08 बिस्वा के रूप में व हर भूमि के छोटे–छोटे टुकड़े कर दिये गये, जिससे उक्त भूमि पर काश्त करना ही संभव नहीं है। अपीलार्थीगण व अन्य खातेदारान जो कि अनपढ़ होने से राजस्व कर्मचारीयो को हक हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु कहने के बावजूद भी हर आराजी नम्बर जो कि छोटा रकबा है, जिसके छोटे छोटे टुकड़े कर बंटवाडा कर दिया गया, जो गलत है व तहसीलदार द्वारा भी उक्त बंटवाड़े के बारे में सभी खातेदारान को अवगत कराये बिना ही आपसी सहमति का बंटवाड़ा फैसल किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आपसी सहमति बाबत् बने सर्कुलर अनुसार सभी खातेदारों के हक हिस्से अनुसार

अति. जिला कलक्टर

ही रकबा बराबर रखते हुए भूमि बंटवाड़ा किया जायेगा व मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किया जायेगा, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उसकी पालना नही कर उक्त विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य है। निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा आपसी सहमति बटवाड़ा निर्णय दिनांकित 16/01/2008 को निरस्त करा, अपील की चरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजियात का समान हक हिस्से अनुसार व कब्जे अनुसार विभाजन करा, राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जाने का आदेश प्रदान करावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि अपीलाण्ट अधिवक्ता ने उक्त सहमति बंटवारा प्रस्ताव को खारिज करने हेतु उक्त प्रकरण लगभग 11–12 वर्ष पश्चात् बिना कोई ठोस कारण के पेश किया है, जो आपसी रजामंदी से सहमति बंटवारा प्रस्ताव को खारिज करने हेतु न्यायोचित नहीं ठहरता हैं।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा ने ग्राम जागदरी के खाता नं. 155 के किता 12 रकबा 12.10 बीघा के सहखातेदारान् का आपसी रजामंदी में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर, राजस्व कैम्प 04 में मजमे आम में एवं उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में, दिनांक 16.01.2008 को बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भीलवाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा